2025/282

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– सुनीलकुमार चौहान, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 /2025
जीसीएमएस सं0 : 2025/

प्रेमसिंह बनाम इन्द्रोबाई वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–9 नियम–7 सीपीसी

–:: निर्णय ::– दिनांक : – 17.09.2025

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री गोपीराम द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–9 नियम–7 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त अनवानी प्रकरण में दिनांक 04.09.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा उसके अधिवक्ता द्वारा वादपत्र को नोटप्रैस के आधार पर खारिज करवाया गया था जबकि मुझ वादी को उक्त वादपत्र के खारिज होने की जानकारी नहीं थी आज मुझ वादी द्वारा माननीय न्यायालय से पता चला कि उक्त वादपत्र खारिज किया जा चुका है इसलिए वादी उक्त वादपत्र को रेस्टोर करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त वादपत्र को पुनः रेस्टोर कर सुनवाई किये जाने के आदेश प्रदान करें।

वकील प्रार्थी को सुना गया। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद को प्रार्थी के अधिवक्ता श्री सन्दीप यादव द्वारा दिनांक 04.09.2025 को नोटप्रैस के आधार पर खारिज किया जा चुका है। प्रकरण में अभी तक प्रतिवादीगण की तलबी नहीं हुई है। अब प्रार्थी के वकील श्री गोपीराम द्वारा वकालतनामा एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी का मूल वाद एवं प्रार्थना पत्र रेस्टोर करने का निवेदन किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–9 नियम–7 सीपीसी का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का मूल वाद एवं प्रार्थना पत्र जो दिनांक 04.09.2025 को नोटप्रैस के आधार पर खारिज किया गया था को रेस्टोर किया जाता है। पुनः नम्बर पर दर्ज हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 17.09.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीलकुमार चौहान)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना